संख्या:-107/2021/277आ0/23-5-21-02(भवन)/2020टीसी

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 01 अक्टूबर, 2021**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में निरीक्षण भवन फतेहपुर के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विद्युतीकरण के कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-324बीजीबी/109बीजीबी/अना0भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण का कार्य/पूँजी/2021-22, दिनांक 20.09.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका में उल्लिखित कार्य हेतु अवशेष धनराशि **रू0 08.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	33/2020/87आ0/23-5-20-2(भवन)/2020टीसी, दिनांक 31.03.2020 एवं 20/2021/358आ0/23-5-20-50(14)/ईजी/2016, दिनांक 29.01.2021	निरीक्षण भवन फतेहपुर के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं विद्युतीकरण का कार्य।	10.73	02.73	08.00	08.00
		योग :-				**08.00**

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-04-अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्य-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्यों हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेशों की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-107/2021/277आ0(1)/23-5-2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी सहारनपुर।
4- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता(वि0/याँ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, सहारनपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, सहारनपुर।
11- अधीक्षण अभियन्ता, सहारनपुर वृत्त, लो0नि0वि0, सहारनपुर।
12- अधिशासी अभियन्ता, यॉन्त्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, सहारनपुर।
13- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।